Case No. OA-IIu/BPL/49/2022

४

रेलवे क्लैम्स ट्रिब्यूनल, भोपाल बेन्च

श्री आलोक कुमार शुक्ल, माननीय सदस्य (तकनीकी) रे.दा.अ./भोपाल
श्री राज कुमार चौहान, माननीय सदस्य (न्यायिक) रे.दा.अ./भोपाल

दावा आवेदन कमांक	:	OA-IIu/BPL/49/2022
दावा पंजीकरण तिथि	:	02-05-2022
आदेशार्थ रखने की तिथि	:	16th January, 2024
आदेश तिथि		08th February, 2024

श्रीमती रश्मि केवट,
पत्नी स्व0 श्री गेंदा केवल,
निवासी–द्वारा रामदास केवट, ग्राम–सेमरी,
पिछोर, जिला–शिवपुरी (म0प्र0)

...............आवेदिका

विरूध्द

1) भारत संघ, द्वारा–महाप्रबंधक, उत्तर–मध्य रेलवे,
इलाहाबाद (प्रयागराज) (उ0प्र0).
2) श्री रामचरण केवट,
3) श्रीमती वती उर्फ बन्ती पत्नी श्री रामचरण केवट,
कमांक–2 एवं 3 निवासी–खिरिया पुनावली,
डामरोन कला, तहसील–करैरा,
शिवपुरी (म0प्र0) पिनकोड–473665

............रेस्पाडेन्ट

दावा राशि : Rs. 13,95,000/-

प्रतिनिधित्व : श्री शशिकान्त श्रीवास्तव, आवेदिका के अधिवक्ता,
श्री हिमंचल कुमार शर्मा, रेस्पांडेन्ट कमांक–1 के अधिवक्ता.
रेस्पांडेन्ट कमांक–2 एवं 3 की ओर से कोई उपस्थित नहीं.

:: नि र्ण य ::

श्री आलोक कुमार शुक्ल, माननीय सदस्य (तकनीकी)

1. आवेदिका ने अपने पति मृतक *गेन्दा केवट पुत्र श्री रामचरण केवट* के अनपेक्षित घटना में मृत्यु होने के फलस्वरूप रेलवे क्लैम्स ट्रिब्यूनल एक्ट, *1987* के सेक्शन–*16* के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति के रूप में रूपये *तेरह लाख पिंच्यानवे हजार* प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत इस आवेदन एवं शपथपत्र के अनुसार प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि लगभग *32* वर्षीय मृतक दैनिक मजदूरी का कार्य करता था एवं अपनी चाची की अस्थियॉ विसर्जित करने के लिए वह अपनी पत्नी, माता एवं अन्य रिश्तेदारों, कुल 15 व्यक्तियों के लिए सेकण्ड क्लास जनरल टिकट संख्या–UCB 28501216, 17, 18, 19 & 20 (each tiket for 3 persons)20COC7W236 to 239) लेकर दिनांक 10-10-2018 को बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस अज्ञात ट्रेन से यात्रा कर रहा था

Sd Sd

निरंतर..........2/पर

रेल दावा अधिकरण भोपाल पीठ, भोपाल प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि

और ट्रेन में नवरात्रि की अत्याधिक भीड़ होने के कारण स्लीपर क्लास में सवार हो गये थे, गाड़ी जब निवाड़ी स्टेशन पर सम्पर्ककांति एक्सप्रेस को पास करने हेतु रूकी तो जीआरपी/ आरपीएफ के सिपाहियों द्वारा जनरल डिब्बे में जाने के लिए जबरदस्ती उतार दिया चूँकि प्लेटफार्म पर बहुत अधिक भीड़ थी इसलिए मृतक एवं परिजन डिब्बा बदलने के लिए ऑफ साइड में उतरकर जनरल डिब्बे की जाकर डिब्बे में चढ़ रहा था और भीड़ के कारण हेण्डिल पकड़ने के लिए संघर्ष कर रहा था किन्तु भीड़ के धक्कामुक्की के कारण मृतक का संतुलन बिगड़ गया और बगल से 80–90 की तीव्र गति से थ्रू पास हो रही उत्तरप्रदेश सम्पर्ककांति एक्सप्रेस के कुछ हिस्से का शिकार हो कर बगल से पास हो रही सम्पर्ककांति एक्सप्रेस के इंजिन से टकराया और नीचे गिर गया तथा घटनास्थल पर ही उसकी मृत्यु हो गई गया. स्टेशन से सूचना प्राप्त होने पर निवाड़ी थाने द्वारा आगे की कार्यवाही सम्पन्न की. अतः बोनाफाइड पैसेन्जर के साथ घटित होने वाली अनटूवर्ड इंसीडेन्ट के अधीन मृतक पति की मृत्यु हो जाने से पत्नी के तौर पर आवेदिका एममेव आश्रित होने से रेस्पांडेन्ट रेलवे से प्रतिपूर्ति के तौर पर प्रतिकर राशि प्राप्त करने के आवेदिका हकदार होने से यह दावा आवेदन पेश किया गया है. यह भी अभिवचन किया गया है कि पति की मृत्यु के बाद आवेदिका अपने मायके में निवासरत् है एवं इसलिए सास–ससुर को रेलवे के साथ–साथ रेस्पांडेन्ट क्रमांक–2 एवं 3 बनाया गया है.

2. रेस्पाडेन्ट क्रमांक–1 ने वैधानिक तरीके से की गई अपनी जॉच रिपोर्ट जिसे डीआरएम रिपोर्ट कहा गया है, में पाये गये निष्कर्ष के आधार पर अपने जवाबदावे में मृतक के परिजनों के साथ ट्रेन से यात्रा करने को स्वीकारते हुए मृतक के प्लेटफार्म के विपरीत दिशा में गाड़ी से उतरने के कारण उस दिशा से आने वाली उत्तरप्रदेश सम्पर्ककांति एक्सप्रेस की चपेट में आने से हुई है जो कि मृतक की लापरवाही के कारण घटित हुई है जिसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होने से मुआवजा देने की अपनी जिम्मेदारी से इनकार करते हुए प्रकरण को इसी आधार पर व्यय सहित निरस्त किये जाने की प्रार्थना रेस्पांडेन्ट की ओर से की गई है.

3. पक्षकारों के अभिवचनों और प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर निम्नलिखित इश्यूज की रचना की गई :–

1) *Whether the deceased was a bonafide passenger at the time of incident ?*

2) *Whether the death of the deceased caused due to the said alleged untoward incident as defined under Sec. 123 (c) (2) read with Sec. 124 A of Railways Act, 1989 ?*

3) *Whether the Respondent railway Administration is protected under the Section 124-A of the Railways Act, 1989 and is not liable to pay any compensation to the applicants ?*

Sd — Sd —

निरंतर.....3/पर

4) Whether the applicants is the legal dependents of the deceased to claim/receive the compensation, if any, granted ? Who else are the dependants ?

5) Relief and cost ?

4. आवेदिका की ओर से मौखिक साक्षी के तौर पर स्वयं का शपथपत्र *(AW/1)* के साथ–साथ लिखित साक्ष्य के रूप में *A-1 to A-26* तक के दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं, वहीं रेस्पाडेन्ट की ओर से लिखित साक्ष्य के तौर पर डीआरएम रिपोर्ट *(R-1)* को विस्तृत रूप से पेश करते हुए उसकी ओर से जॉच करने वाले श्री विनोदकुमार राय, एसआई/आरपीएफ, महारानीपुर, थाना–लोको झॉसी को शपथपत्र *(RW/1)* के साथ उपस्थित कराया है. दोनों ही साक्षियों का प्रति–परीक्षण कोर्ट के सम्मुख किया गया.

5. तदनुसार पक्षों द्वारा पेश की गई सारगर्भित बहस को बड़े ध्यान से सुन कर और अभिवचनों, प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्यों तथा माननीय एमपी हाईकोर्ट के उल्लेखित न्यायसिध्दान्त का गंभीरतापूर्वक अवलोकन कर के, उक्त इश्यूज पर हमारा निष्कर्ष इस प्रकार है :–

:: निष्कर्ष ::

इश्यूज कमांक–1 एवं 2 :

6. विवरण में सुसंगता स्थापित करने हेतु इन दोनों इश्यूज पर एकसाथ विचार किया जा रहा है. प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजी लिखित एवं मौखिक साक्ष्यों, प्रस्तुत 15 व्यक्तियों के मूल यात्रा टिकट तथा रेस्पांडेन्ट की ओर से *रेल यात्री (मैनर ऑफ इनवेस्टिगेशन ऑफ अनटूवर्ड इन्सीडेन्ट), नियम 2003 के नियम–3* के अधीन वैधानिक तरीके से की गई रेस्पांडेन्ट की जॉच रिपोर्ट जिसे संक्षिप्त मे डीआरएम रिपोर्ट *(R-1)* कहा गया है, में यह स्वीकार्य है कि घटना के समय मृतक गाड़ी संख्या–11107 बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस से अपने परिजनों के साथ अपनी चाची की अस्थियॉ विसर्जित करने के लिए झॉसी से प्रयागराज (इलाहाबाद) तक की यात्रा कर रहा था, इस प्रकार तत्समय वह बोनाफाइड पैसेन्जर के तौर पर ही ट्रेन में था एवं यात्रा कर रहा था. रेस्पांडेन्ट ने अपना विरोध इस बात पर सीमित रखा है कि उसके साथ घटना बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस से यात्रा करते समय नहीं घटित हुई है, अपितु निवाड़ी स्टेशन पर गाड़ी संख्या–12447 उत्तरप्रदेश सम्पर्ककांति एक्सप्रेस के थ्रू पास होते समय उसकी चपेट में आने से हुई है, जब बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस को सम्पर्ककांति एक्सप्रेस को थ्रू पास कराने के लिए निवाड़ी स्टेशन पर रोका गया था तब मृतक प्लेटफार्म की साइड न उतरकर इसके विपरीत दिशा में उतरा था. अतः घटना यात्रा करने वाली चलती ट्रेन से नीचे गिरने की न होकर दूसरी ट्रेन की चपेट में आने की है, जो कि अनटुवर्ड इंसीडेन्ट में समाहित नहीं होती है. इसी को रेस्पांडेन्ट कमांक–1 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान अपने तर्क में दोहराया है.

Sd

निरंतर..........4/पर

Sd

रेल दावा अधिकरण प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि भोपाल पीठ, भोपाल

7. आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान पूरजोर तरीके से यह दलील दी है कि EXB R-1/21 & 22 जो कि पुलिस की डायरी है, में साफ तौर पर लिखा है कि मृतक बोगी बदलने के लिए ऑफ साइड में उतरा था, इस प्रकार स्वयं पुलिस के रोजनामचा/डायरी में यह तथ्य प्रमाणित है कि मृतक बोगी बदलने के लिए नीचे उतरा था. विद्वान अधिवक्ता आगे यही तर्क दे रहे हैं कि इससे यह प्रमाणित होता है कि जब बुंदेलखण्ड एक्सप्रेस को निवाड़ी पर रोका गया था तब जीआरपी/आरपीएफ द्वारा मृतक एवं परिजनों को बोगी बदलने के लिए नीचे उतरने हेतु मजबूर किया गया था एवं नवरात्रि की अत्याधिक भीड़ होने के कारण पहले ही से प्लेटफार्म पर अत्याधिक भीड़ होने के कारण मृतक को ऑफ साइड में उतरने की मजबूरी ही थी एवं उतरने के बाद जब वह दूसरी बोगी में सवार हो रहा था, तब भीड़ के कारण हेण्डिल पकड़ने के लिए संघर्ष करते समय तथा भीड़ के धक्कामुक्की के कारण मृतक का संतुलन बिगड़ गया और बगल से 80–90 की तीव्र गति से थ्रू पास हो रही उत्तरप्रदेश सम्पर्ककांति एक्सप्रेस के कुछ हिस्से का शिकार हो उसके इंजिन से टकराया और नीचे गिर गया तथा घटनास्थल पर ही उसकी मृत्यु हो गई गया. इस प्रकार यह सब इतने तेजी से और अकस्माक/अनपेक्षित घटित हो गया. इस प्रकार यह घटना उसी प्रकार घटित हुई है, जो कि *रेलवे एक्ट, 1989 के सेक्शन–123 (C) (2)* में परिभाषित है.

8. हमारे द्वारा पत्रावलि पर उपलब्ध दस्तावेजी एवं उपस्थित मौखिक साक्ष्यों का परिशीलन किया एवं पक्षों के दोनों ही विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा पेश की गई सारगर्भित बहस को ध्यान से सुना. पुलिस डायरी/रोजनामचा के अवलोकन से आवेदिका का अभिवचन एवं समर्थन में उसके विद्वान अधिवक्ता द्वारा पेश किये तर्क सही साबित होते हैं कि घटना के समय नवरात्रि पर्व की अत्याधिक भीड़ थी, जिस वजह से बुंदेलखण्ड एक्सप्रेस के निवाड़ी स्टेशन पर उत्तरप्रदेश सम्पर्ककांति ट्रेन को थ्रू पास कराने के लिए रोके जाने पर प्लेटफार्म पर भी अत्याधिक भीड़ होना लाजिमी है, वहीं जीआरपी/आरपीएफ की वजह से मृतक को बोगी बदलने के लिए नीचे उतरना पड़ा, एवं वह वापिस दूसरी बोगी में सवार होते समय अनपेक्षित रूप से घटना का शिकार हुआ है जिसकी पुष्टि नक्शा–पंचायतनामा में मृतक को आई हुई चोटें भी कर रही है, क्योंकि मृतक का सिर बुरी तरह से फट गया था, जो कि आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता के तर्क को ही साबित करता है, साथ ही रेस्पांडेन्ट की ओर से विपरीत साक्ष्य प्रस्तुत कर यह साबित नहीं किया जा सका है कि घटना *रेलवे एक्ट, 1989 के सेक्शन–124 A* के अपवादों के कारण ही घटित हुई है.

9. अतः दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों तथा परिस्थितिजन्य हालातों को देखते हुए हम इस घटना को स्टेशन/प्लेटफार्म पर ट्रेन में चढ़ते–उतरते समय घटित होने वाली ही अनटुवर्ड इंसीडेन्ट की घटना मानते हैं एवं इस सम्बन्ध में ***माननीय आन्ध्र हाईकोर्ट*** द्वारा अपने प्रकरण *Union Of India (Uoi), through General Manager, Southern Railway vs Kurukundu Balakrishnaiah And others on 8 December, 2003 (reported-* II (2004) ACC 591) में

निरंतर.....5/पर

पैरा–19 के *(2) Accidental falling would include a passenger trying to alight a train, board a train, or any other like action, and hence they would be covered by untoward incident as specified in Section 123(c) of the Act* में *रेलवे एक्ट, 1989 के सेक्शन–123 (C) (2)* के अधीन अनटुवर्ड इंसीडेन्ट में ही सम्मिलित किया है, जिसको कि *माननीय सुप्रीमकोर्ट* द्वारा भी अपने प्रकरण–*भारतसंघ वि0 रीनादेवी* में उल्लेखित किया है. अतः माननीय सुप्रीमकोर्ट एवं आन्धा हाईकोर्ट के उल्लेखित न्यायसिध्दान्त को ध्यान में रखते हुए हम रेस्पांडेन्ट की दी गई दलीलों को विधिसम्मत न मानते हुए यही अवधारित करते हैं कि मृतक के साथ घटित उक्त घटना रेलवे एक्ट, 1989 के सेक्शन–123 (c) (2) के अन्तर्गत बोनाफाइड पैसेन्जर के साथ घटित होने वाली अनटुवर्ड इंसीडेन्ट की ही घटना थी. अतः इश्यूज क्रमांक–1 एवं 2 का विनिश्चय आवेदिका के ही पक्ष में किया जाता है.

<u>इश्यूज क्रमांक–3</u> :

10. चूँकि घटना को *रेलवे एक्ट, 1989 के सेक्शन–124 A* के अपवादों में होने को पूख्ता सबूतों द्वारा साबित करने में रेस्पांडेन्ट असमर्थ रहा है इसलिए रेस्पांडेन्ट इसी *एक्ट के सेक्शन–124 A* के अधीन आश्रितों को मुआवजा देने हेतु बंधनकारी है. तदनुसार इश्यूज निर्णीत किया जाता है.

<u>इश्यूज क्रमांक–4 एवं 5</u> :

11. विवरण में सुसंगता स्थापित करने हेतु इन पर एक साथ विचार किया जा रहा है. मृतक पति की पत्नी के तौर पर आवेदिका ही एकमेव आश्रित होने से आवेदिका ने यह दावा दाखिल किया है व अपने–आप को आश्रित साबित करने के लिए आवेदिका की ओर से बुनियादी दस्तावेजों के अलावा मृतक का आधारकार्ड, वोटरकार्ड, बैंक खाते, रॉशनकार्ड, आवेदिका का आधारकार्ड, बैंक खाता व स्थानीय ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाणपत्र *(A-8, 9, 10, 13, 15, 19, 25 & 26)* आदि दस्तावेजी साक्ष्य पेश की है. साक्षी के तौर पर कोर्ट के सम्मुख उपस्थित होने पर आवेदिका ने यह कहा है कि मृतक का नाम गेन्दा एवं ज्ञानसिंह दोनों ही थे. आवेदिका का यह कथन ए–22 पर पेश किये गये मृत्यु प्रमाणपत्र से साबित होता है, जिसमें मृतक का नाम ज्ञानसिंह केवट उर्फ गेन्दा अंकित है एवं दिनांक 10–10–2018 को निवाड़ी में हुई मृत्यु का तथ्य अंकित है. आवेदिका की ओर से ए–26 पर स्थानीय ग्राम पंचायत द्वारा जारी एक प्रमाणपत्र पेश किया है जिसमें आवेदिका के अपने मायके में ही निवासरत् रहने, ससुराल वालों द्वारा आवेदिका से कोई सम्बन्ध न रखने, आवेदिका का भरण–पोषण एवं जीवन–निर्वाह व्यय पूरा आवेदिका के पिता द्वारा ही वहन किये जाने का प्रमाणित किया गया है. रेस्पांडेन्ट की ओर से विपरीत साक्ष्य प्रस्तुत न कर इसे विधि के अनुरूप कोई चुनौती नहीं दी है. इसी वजह से आवेदिका द्वारा अपने सास–ससुर अर्थात् मृतक के माता–पिता को रेस्पांडेन्ट क्रमांक–2 एवं 3 बनाया गया है. इस प्रकार दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से यह प्रमाणित है कि घटना के समय आवेदिका मृतक की पत्नी एवं रेस्पांडेन्ट क्रमांक–2 एवं 3 मृतक के माता–पिता थे, अतः *रेलवे एक्ट, 1989 के सेक्शन*

Sd Sd

निरंतर.........6/पर

रेल दावा अधिकरण
प्रमाणित
सत्य प्रतिलिपि
भोपाल पीठ, भोपाल

123 (B)(i) के अधीन आवेदिका मृतक की पत्नी एवं (B)(ii) के अधीन रेस्पांडेन्ट कमांक–2 एवं 3 मृतक के माता–पिता के तौर पर आश्रित मान्य किये जाते हैं.

12. चूँकि यह साबित हो गया है कि मृतक के साथ घटित घटना बोनाफाइड पैसेन्जर के साथ घटित होने वाली अनटूवर्ड इंसीडेन्ट की ही घटना है इसलिए *रेल दुर्घटना और अनपेक्षित घटना (प्रतिकर) नियम, 1990 संशोधित 1997 & 2016* की अनुसूची के भाग–एक के अन्तर्गत आश्रितों को प्रतिकर देने हेतु रेस्पांडेन्ट बाध्य है.

13. आवेदिका ने अपना दावा रूपये 13,95,000/- के लिए प्रस्तुत किया है, किन्तु माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को देखते हुए निर्धारित आश्रित *रेल दुर्घटना और अनपेक्षित घटना (प्रतिकर) नियम, 1990 संशोधित 1997 & 2016* की अनुसूची के भाग–एक के अधीन निर्धारित रूपये 8,00,000/- की राशि ही देय होने पर इतनी ही राशि एवं इस राशि पर घटना दिनांक 10-10-2018 से भुगतान तिथि *(इसमें से आवेदिका की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने से सुनवाई में हुए विलंब अवधि यथा दिनांक 30-12-2022 से दिनांक 01-06-2023 तक, दिनांक 07-07-2023 से दिनांक 11-12-2023 तक की अविध को ब्याज हेतु गणित कुल अवधि में से घटाया जाएगा)* 09% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज सहित गणित कुल राशि प्रतिकर के रूप में रेस्पांडेन्ट से प्राप्त करने के हकदार हैं. अतः इश्यूज का निर्धारण करते हुए निम्नलिखित आदेश जारी किये जाते हैं :–

:: आ दे श ::

14. अतः रेस्पांडेन्ट को आदेश दिये जाते हैं कि वह कुल प्रतिकर राशि रूपये 8,00,000/- में से आश्रितों को निम्नानुसार भुगतान करेगा :–

Sl No	Name of the Applicants	Relationship with deceased	Age in years	Amount awarded (Rs.)	In cash (Rs.) (एवं संदेय आनुपातिक ब्याज)	As Fixed Depo sit/ Annuity (Rs.) (एवं संदेय आनुपातिक ब्याज)
1)	Smt. Rashmi Kewat	पत्नी	30	4,00,000/-	40,000/-	3,60,000/-
2)	Sh. Ram Charan Kewat	पिता	*	2,00,000/-	20,000/-	1,80,000/-
3)	Smt. Vati @ Banti	माता	*	2,00,000/-	20,000/-	1,80,000/-

* *प्रकरण में चूँकि इन्हें रेस्पांडेन्ट कमांक–2 एवं 3 बनाया गया था इसलिए प्रकरण में इनकी उम्र/पहचान के तौर पर कोई आधारकार्ड/दस्तावेज नहीं है एवं न ही इनके बैंक डिटेल्स ही प्रकरण में नत्थी है, अतः भुगतान के समय उक्त दस्तावेजों को अनिवार्य तौर पर प्रस्तुत कर तदनुसार सत्यापन किया जाना अनिवार्य है.*

15. रेस्पांडेन्ट उक्त राशि पर घटना दिनांक 10-10-2018 से भुगतान तिथि *(इसमें से आवेदिका की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने से सुनवाई में हुए विलंब अवधि यथा दिनांक 30-12-2022 से दिनांक 01-06-2023 तक, दिनांक 07-07-2023 से दिनांक 11-12-2023 तक की अविध को ब्याज हेतु गणित कुल अवधि में से घटाया जाएगा)* 09% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज का भी संदेय आश्रितों को करेगा.

निरंतर............7/पर

Sd/- Sd/-

रेल दावा अधिकरण भोपाल पीठ, भोपाल — प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि

16. लाभार्थी/लाभार्थियों के उम्र को दृष्टिगत रखते हुए तथा मुआवजा राशि का दुरूपयोग होने से बचाने के लिए इस राशि को निम्नानुसार जमा/निर्गमन किया जाएगा :–

(1) उक्त तालिका के कमांक–1 अर्थात् मृतक की पत्नी को संदत्त कुल प्रतिकर राशि में से सम्बन्धित लाभार्थी को 10% राशि अर्थात् रूपये 40,000/- एवं इस पर आनुपातिक ब्याज सहित राशि को लाभार्थी के बचत बैंक खाते में जमा किया जाएगा जिसको सम्बन्धित लाभार्थी तत्काल निकाल सकती है, एवं शेष राशि अर्थात् रूपये 3,60,000/- को 6,000/- (एवं इस पर आनुपातिक ब्याज) प्रति माह के हिसाब से एक माह से 60 माह की अवधि के लिए आरोही क्रम में फिक्स्ड डिपाजिट में रखा जाएगा. प्रत्येक एफडीआर की परिपक्वता राशि सम्बन्धित लाभार्थी के बचत बैंक खाते में जमा की जाएगी

(2) उक्त तालिका के कमांक–2 एवं 3 अर्थात् मृतक के माता–पिता को संदत्त कुल प्रतिकर राशि में से सम्बन्धित लाभार्थी को 10-10% राशि अर्थात् रूपये 20-20 हजार एवं इस पर आनुपातिक ब्याज सहित राशि को लाभार्थी के बचत बैंक खाते में जमा किया जाएगा जिसको सम्बन्धित लाभार्थी तत्काल निकाल सकता है, एवं शेष राशि अर्थात् रूपये 180000-180000/- को 4000/- (एवं इस पर आनुपातिक ब्याज) प्रति माह के हिसाब से एक माह से 45माह की अवधि के लिए आरोही क्रम में फिक्स्ड डिपाजिट में रखा जाएगा. प्रत्येक एफडीआर की परिपक्वता राशि सम्बन्धित लाभार्थी के बचत बैंक खाते में जमा की जाएगी

17. अतः लाभार्थी को आदेश दिये जाते हैं कि वे अपने निवासस्थान के नजदीक स्थित किसी राष्ट्रीयकृत/शेड्यूल्ड बैंक के नवीनतम बचतखाते की जानकारी रेस्पांडेन्ट रेलवे के प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के साथ–साथ इस पीठ की रजिस्ट्री के अपर पंजीयक महोदय के पास भी अतिशीघ्र उपलब्ध कराएंगा. रेस्पांडेन्ट रेलवे इस आदेश की प्रति प्राप्ति से *60* दिवसों के भीतर लाभार्थी को आगे दिये गये निर्देशानुसार भुगतान करने के लिए बाध्य होगा.

18. रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या–2021/TC/-III/2610, dtd 29-09-2021 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में रेस्पांडेन्ट रेलवे जल्दी–से–जल्दी दावा राशि के भुगतान का प्रबंध करेगा, किन्तु इस आदेश की सत्यापित प्रति प्राप्ति से 60 दिनों के भीतर मुआवजा राशि का भुगतान करने में विफल रहता है तो रेस्पांडेन्ट आगे की अवधि के लिए भुगतान तिथि तक *12%* वार्षिक की दर से ब्याज का भुगतान करेगा.

19. भारत सरकार ने 03 जून, 2020 को एक अधिसूचना जारी की है जिसमें रेलवे दुर्घटनाओं और अनपेक्षित दुर्घटनाओं (मुआवजा) संशोधन नियमों, 2020, संशोधित नियम–5 में किये गये संशोधन के अनुसार लाभार्थियों के नवीनतम बचत खातें निम्नलिखित शर्तों के अधीन खोले जाएंगे :–

1) ऐसे खातों में एटीएम/डेबिट कार्ड जारी नहीं किये जाएंगे,
2) इन खातों में चैकबुक भी जारी नहीं की जाएगी,
3) ऐसे खातों में इलेक्ट्रॉनिक सुविधा से राशि स्थानांतरित नहीं की जाएगी,
4) ऐसे खातों में मोबाइल अथवा इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा भी नहीं रहेगी

20. आवेदिका/लाभार्थी यदि नवीनतम बचत खातों का विवरण नहीं देते हैं तो विद्यमान बैंक दावा राशि के भुगतान के वितरण से पहले आवेदिका/लाभार्थी के मौजूद बचत खातों में से चैकबुक को निरस्त कर देगा एवं साथ ही एटीएम/डेबिट कार्ड को भी निरस्त कर देगा. बैंक खाते में दी गई मोबाइल एवं इंटरनेट बैंकिंग सुविधा को भी बंद कर देगा एवं उपर्युक्त सुविधाओं को बंद करने बाबत् बैंक आवेदिका/लाभार्थी के बैंक पासबुक में उचित प्रविष्टि करके अधिकारी के हस्ताक्षर के साथ सील भी लगाएगा.

निरंतर.............8/पर

Sd Sd

21. इन खातों से धन की निकासी केवल "निकासी फार्म" के द्वारा ही की जाएगी.

22. आवेदिका/लाभार्थी अपने निवास के समीप स्थित बचत खाते का विवरण, जिस पर उचित पृष्ठांकन किया गया हो, अपनी पहचान के दस्तावेज के रूप में आधारकार्ड/पेनकार्ड अथवा अन्य कोई उचित पहचान का दस्तावेज तथा अपने नवीनतम पासपोर्ट आकार के 2 फोटोग्राफ्स एवं नमूने के हस्ताक्षर आदि रजिस्ट्री के पास जमा करेंगे.

23. इस पीठ की अनुमति के बिना आवेदिका/लाभार्थी के उक्त बचत खातों का स्थानांतर नहीं किया जा सकेगा.

24. लाभार्थी से प्राप्त उक्त बैंक विवरण से रेस्पांडेन्ट रेलवे स्वयं संतुष्ट होने के बाद ही इसे अपर पंजीयक को हस्तांतरित करेंगे.

25. रेस्पांडेन्ट लाभार्थियों को संदेय राशि का भुगतान इस रजिस्ट्री के *Suitors Account No.* 10064520760 *IFSC Code :* SBIN0005798 *(State Bank of India, Shivaji Nagar Branch, BHOPAL (MP)* बैंक खाते में RTGS के द्वारा इस आदेश की सत्यापित प्रति प्राप्ति से 60 दिनों के भीतर जमा करते हुए इसकी सूचना अपर पंजीयक को भी देगा.

26. यह पुनः आदेशित किया जाता है कि रजिस्ट्री *Suitors Account* बैंक अर्थात् भारतीय स्टेट बैंक,शिवाजी नगर शाखा, भोपाल को कहेगा कि बैंक सावधि जमा खाते से पैसा निकालने की अनुमति तब तक नहीं देगा, जब तक कि उसे इस पीठ से लिखित में आदेश न दिया जाए.

27. लाभार्थी 15G or 15H (for senior citizen) (as applicable under sub section (2) of section 19 of the Railway Claims Tribunal Act, 1987) प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे.

28. पीठ द्वारा पारित इस आदेश की कॉपी आवेदिका/लाभार्थी अपनी बैंक शाखा को प्रस्तुत करेंगे ताकि बैंक पीठ द्वारा खाते से सम्बन्धित शर्तों की पूर्तता करते हुए इसका पृष्ठांकन आवेदिका/लाभार्थी की पासबुक में करेगा. उक्त पृष्ठांकन के साथ अपनी पासबुक एवं आधारकार्ड, पेनकार्ड अथवा पहचान का उचित दस्तावेज आवेदिका/लाभार्थी सीधे रेस्पांडेन्ट को प्रस्तुत करेंगे.

29. दावा राशि के भुगतान के पूर्व रेस्पांडेन्ट रेलवे स्वयं इस बात पर संतुष्ट होगा कि आवेदिका/लाभार्थी द्वारा जो बचत खातों की जानकारी दी गई है, वे उसके निवासस्थान के नजदीक स्थित है एवं उक्त खाते में चैकबुक, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड, मोबाइल/इंटरनेट बैंकिंग आदि की सुविधा बंद की जा चुकी है एवं पीठ के अनुमति के बिना ये सुविधाएँ शुरू नहीं की जाएगी.

30. लाभार्थी/आवेदिका को संदेय दावा राशि की सुरक्षा हेतु बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि प्रस्तुत किया गया खाता संयुक्त न होकर एकल ही होगा. (नैसर्गिक संरक्षक के द्वारा संचालित किये जा रहे अवयस्क खातों को छोड़कर).

31. बैंक आवेदिका/लाभार्थियों की फिक्स्ड डिपाजिट रसीदों को अपने ही पास सेफ कस्टडी में रखेगा, जिसका स्टेटमेंट (अर्थात् एफडीआर नंबर, राशि, परिपक्वता की तारीख एवं परिपक्वता की राशि) वह लाभार्थी को अवश्य उपलब्ध कराएगा. उक्त एफडीआर की परिपक्वता पर ब्याज सहित परिपक्वता राशि को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम अर्थात् ECS के द्वारा लाभार्थी के बचत खाते में जमा किया जाएगा.

32. इस पीठ के आदेशों के बिना एफडीआर पर न तो लोन दिया जाएगा एवं न ही इस पर अग्रिम स्वीकार किया जाएगा. इस एफडीआर को परिपक्वता से पूर्व भी भुनाया नहीं जा सकेगा. पीठ के दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए इस आदेश की प्रति स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के नोडल अधिकारी/शाखा प्रबंधक को भी भेजी जाएगी.

शेष..............9/पर

Sd/- Sd/-

रेल दावा अधिकरण भोपाल पीठ, भोपाल — प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि

33. इस आदेश के 90 दिनों के भीतर रजिस्ट्री अनुपालन रिपोर्ट पेश करेगी.

34. माननीय सुप्रीमकोर्ट द्वारा प्रकरण *M.R.Krishnamurthy vs. New India Assurance Company Ltd. in CA 2476/2677 of 2019; decided on 5th March, 2019* के पैरा–40 में सभी दावा अधिकरणों को दिल्ली हाईकोर्ट के *राजेश त्यागी वि० जय वीर सिंह* प्रकरण में जमा योजना से सम्बन्धित दिशा–निर्देशों का पालन करने हेतु कहा गया है.

35. तदनुसार इस मूल दावा आवेदन का निस्तारण किया जाता है.

36. पक्ष अपना–अपना वादव्यय वहन करेंगे.

37. इस आदेश की प्रति पक्षों को नियमानुसार प्रदान की जाएगी.

38. प्रकरण–फाइल रेकार्ड रूम को प्रेषित की जाए.

(राज कुमार चौहान)
सदस्य (न्यायिक)
रेल दावा अधिकरण, भोपाल

(आलोक कुमार शुक्ल)
सदस्य (तकनीकी)
रेल दावा अधिकरण, भोपालपीठ

उपरोक्त निर्णय आज दिनांक 08th February, 2024 को उद्घोषित होकर हस्ताक्षरित किया गया.

(राज कुमार चौहान)
सदस्य (न्यायिक)
रेल दावा अधिकरण, भोपाल

(आलोक कुमार शुक्ल)
सदस्य (तकनीकी)
रेल दावा अधिकरण, भोपालपीठ

रेल दावा अधिकरण भोपाल पीठ, भोपाल

सहायक पंजीयक
रेल दावा अधिकरण
भोपाल पीठ, भोपाल